अध्याय-V

प्रबंधन, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन

5.1 प्रबंधन, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन (एम.एम.ई.)

एम.डी.एम. योजना को राष्ट्रीय स्तर पर (एच.आर.डी. मंत्रालय द्वारा) तथा राज्य स्तर (संबंधित राज्य सरकार द्वारा) मॉनीटर किया जा रहा है एम.एम.ई. की संरचना नीचे दी गई-

राष्ट्रीय निगरानी सह मानीटरिंग समिति (राष्ट्रीय स्तर)	• कार्यक्रम कार्यान्वयन को मॉनीटर करना, इसका प्रभाव निर्धारण करना तथा शोधक कार्रवाई करना • स्वतंत्र मॉनीटरिंग/मूल्यांकन अभिकरणों की रिपोर्टों पर कार्रवाई करना • संबंधित विभागों, अभिकरणों के बीच प्रभावी समन्वय तथा अभिसरण • कार्यक्रम हेतु सामुदायिक सहायता को संघटित करना तथा लोक निजी साझेदारी को बढ़ावा देना • केन्द्र तथा राज्य सरकार को नीति सलाह प्रदान करना • स्वैच्छिक अभिकरणों तथा अन्य उपयुक्त संस्थानों की पहचान करना
कार्यक्रम स्वीकृति बोर्ड (राष्ट्रीय स्तर)	• राज्य सरकारों तथा यू.टी. प्रशासनों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (ए.डब्ल्यू.पी.एण्ड बी.) पर विचार करना तथा निम्न को संस्वीकृत करना: • (i) अनाजों की प्रमात्रा का जिला वार आवंटन • (ii) भोजन पकाने की सहायता तथा परिवहन आर्थिक सहायता का जिला वार आवंटन • (iii) प्रबंधन, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन हेतु निधियां • (iv) रसोईघर-सहभण्डार तथा रसोईघर उपकरणों हेतु जिला वार आवंटन
राज्य निगरानी सह मॉनीटरिंग समिति (राज्य स्तर/ब्लॉक स्तर)	• विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों का मार्गदर्शन • कार्यक्रम कार्यान्वयन को मानीटर करना, इसका प्रभाव निर्धारण करना तथा शोधक कार्रवाई करना • स्वतंत्र मॉनीटरिंग/मूल्यांकन अभिकरणों की रिपोर्टों पर कार्रवाई करना • सामुदायिक सहयोग को संघटित करना तथा कार्यक्रम हेतु लोक-निजी साझेदारी को प्रोत्साहित करना
निगरानी सह मानीटरिंग समिति (जिला तथा ब्लॉक स्तर)	• योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना

5.2 राष्ट्रीय स्तरीय परिचालन सह मॉनीटरिंग समिति

मंत्रालय ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु एक राष्ट्रीय स्तरीय निगरानी सह मॉनीटरिंग समिति (एन.एस.एम.सी.) की स्थापना की। एन.एस.एस.सी. के मुख्य कार्य कार्यक्रम कार्यान्वयन को मॉनीटर करना, शोधक कार्रवाई करना, संबंधित विभागों, अभिकरणों (अर्थात् एफ.सी.आई.), में समन्वय तथा अभिसरण करना, केन्द्र तथा राज्य सरकार को नीति सलाह प्रदान करना आदि हैं।

एन.एस.एम.सी. को प्रत्येक छः महीनों में कम से कम एक बार बैठक करनी थी। संवीक्षा ने प्रकट किया की एन.एस.एम.सी. ने निर्धारित सारणी के अनुसार बैठक नहीं की थीं। बैठकों में कमी के ब्यौरे नीचे **तालिका 5.1** में दिए गये हैं

तालिका 5.1: एन.एस.एम. सी0 बैठको के ब्यौरे

वर्ष	की जाने वाली बैठकों की संख्या	वास्तव में की गई बैठकों की संख्या
2009	2	1
2010	2	1
2011	2	1
2012	2	1
2013	2	2

2009 से 2013 के दौरान, निधार्रित 10 बैठकों के प्रति केवल 6 बैठकें की थी जिसका परिणाम 40 *प्रतिशत* की कमी में हुआ

5.2.1 एन.एस.एम.सी. द्वारा लिए गए निर्णयों का गैर-कार्यान्वयन

2009-10 से 2013-14 के दौरान हुई एन.एस.एम.सी. की बैठकों के कार्यवृत की जांच ने प्रकट किया कि एन.एस.एम.सी. द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों को मंत्रालय द्वारा मार्च 2014 तक कार्यान्वित नहीं किया जा सका था। विवरण नीचे **तालिका 5.2** में दिए गए हैं:

तालिका 5.2: एन.एस.एम.सी. के निर्णयों के ब्यौरे

बैठक की तिथि	निर्णय	मंत्रालय का उत्तर
01.08.2011	4.2 भोजन पकाने की लागत का एम.डी.एम. मूल्य सूची से संयोजन	आर्थिक मामलों पर मंत्रीमण्डल समिति (सी.सी.ई.ए.) ने प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया था।
01.08.2011	6.2 जनजातीय क्षेत्रों के गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों को एम.डी.एम. के अंतर्गत शामिल करना	प्रस्ताव पर 30 जनवरी 2014 को हुई बैठक में ई.एफ.सी. द्वारा विचार किया गया था तथा यह निर्णय लिया गया था कि इन क्षेत्रों में निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों को शामिल करने हेतु योजना के विस्तार के प्रस्ताव पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा पूर्ण समीक्षा के माध्यम से विचार किया जाना चाहिए।
24.08.2012	4.2 एम.डी.एम. के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक के बच्चों का आवृतन	एम.डी.एम. के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक के बच्चों को शामिल करने हेतु प्रस्ताव संबंधित विभाग द्वारा समर्थित नहीं था
24.08.2012	4.4 साझेदारी के आधार पर रसाईघर उपकरण अनुदान की वृद्धि	मंत्रालय ने रसोई घर उपकरणों के प्रापण हेतु केन्द्रीय सहायता के मापदण्डों के ₹5000 प्रति विद्यालय से विद्यालय में नामांकन से संयोजित ₹10000-25000 की सीमा तक संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, परंतु सी.सी.ई.ए. ने प्रस्ताव को स्थगित कर दिया था।
24.08.2012	4.6 मॉडल रसोईघर-सह-प्रशिक्षण केन्द्र	मंत्रालय द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था।
24.08.2012	4.7 विशेष श्रेणी के राज्यों के अतिरिक्त राज्यों हेतु परिवहन सहायता को बढ़ाना	यह प्रस्ताव सी.सी.ई.ए. द्वारा स्वीकृत नहीं था।
24.08.2012	4.8 निजी विद्यालयों में आर.टी.ई. अधिनियम 2009 के अंतर्गत धारा 12(1)(ग) के तहत दाखिल बच्चों का आवृतन	प्रस्ताव ई.एफ.सी. टिप्पण पर अंतर-मंत्रालयी सलाह के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/संगठनों द्वारा समर्थित नहीं था।
05.08.2013	4.6 एम.डी.एम. योजना के प्रभाव का निधार्रण करने हेतु आधार रेखा अध्ययन	प्रस्ताव सी.सी.ई.ए. द्वारा स्वीकृत नहीं था।
17.01.2014	5.8 रसोईया-सह-सहायक हेतु मानदेय की ₹2000 प्रति माह तक वृद्धि	प्रस्ताव सी.सी.ई.ए. द्वारा स्वीकृत नहीं था।

5.3 राज्य, जिला तथा ब्लॉक स्तर पर परिचालन सह मॉनीटरिंग समिति की बैठकों में कमी

मंत्रालय ने एम.डी.एम. योजना के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु राज्य, जिला तथा ब्लॉक स्तर पर परिचालन सह मॉनीटरिंग समिति के गठन हेतु अनुदेश जारी (अगस्त 2010) किए। इन एस.एम.सी. के कार्य थे:

(क) विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को मार्गदर्शन प्रदान करना

(ख) कार्यक्रम कार्यान्वयन को मॉनीटर करना, इसका प्रभाव निर्धारण करना तथा शोधक कार्रवाई करना

(ग) स्वतंत्र मॉनीटरिंग/मूल्यांकन अभिकरणों की रिपोर्टों पर कार्रवाई करना

(घ) संबंधित विभागों, अभिकरणों (अर्थात् एफ.सी.आई.), तथा योजना में समन्वय तथा अभिसरण करना तथा

(ड) सामुदायिक सहयोग को संघठित करना तथा कार्यक्रम हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

इसके अतिरिक्त, जिला तथा ब्लॉक स्तर पर एस.एम.सी. की बैठक का पिछले महीने में योजना के कार्यान्वयन तथा उस विशिष्ट ब्लॉक के प्रत्येक विद्यालय में योजना का उपर्युक्त रूप से कार्यान्वयन करने, विशेष रूप से अनाज तथा निधियों की उपलब्धता के प्रबंधनों को मॉनीटर करने हेतु प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में आयोजन किया जाना था। राज्य स्तर पर एस.एम.सी. की बैठक कम से कम प्रत्येक छः माह में की जाएगी जिसमें एस.एम.सी. के आम कार्यों के अतिरिक्त जिला स्तर पर हुई एस.एम.सी. की बैठकों की समीक्षा की जाएगी।

निर्धारित तथा 2009-10 से 2013-14 के दौरान हुई विभिन्न एस.एम.सी. की बैठकों की वास्तविक संख्या की तुलना ने कमी को दर्शाया जैसा **अनुबंध–XVII** में दिया गया है बैठकों में सार्थक कमी नीचे दी गई है:

- राज्य स्तर पर बैठकों में 60 *प्रतिशत* से अधिक की कमी आठ राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, गोवा, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक लक्षद्वीप तथा पुदुचेरी में पाई गई थी ।

- जिला स्तर पर, 18 राज्यों अर्थात् **आन्ध्र प्रदेश**, **अरूणाचल प्रदेश**,**बिहार**, **गोवा**, **गुजरात हरियाणा**, **हिमाचल प्रदेश**, **झारखण्ड**, **माणिपुर**, **तमिलनाडु**, **त्रिपुरा**, **उतराखण्ड**, **पश्चिम बंगाल**, **अ. एवं नि. द्वीपसमूह**, **चण्डीगढ़**, **दा. एवं ना. हवेली**, **दमन एवं दीव** तथा **लक्षद्वीप** में बैठकों में 60 *प्रतिशत* से अधिक की कमी पाई गई थी।
- ब्लॉक स्तर पर, 15 राज्यों अर्थात् **आन्ध्र प्रदेश**, **अरूणाचल प्रदेश**, **बिहार**, **गोवा**, **गुजरात**, **हरियाणा**, **मणिपुर**, **तमिलनाडु**, **उतर प्रदेश** , **उतराखण्ड**, **पशिचम बंगाल**, **अ. एवं नि. द्वीपसमूह**, **दा. एव ना. हवेली**, **दमन एवं दीव** तथा **लक्षद्वीप** में बैठकों में 60 प्रतिशत से अधिक की कमी पाई गई थी । विभिन्न एस.एम.सी. द्वारा अनवरत बैठकें सुशासन कार्यों से सुसंगत नहीं थीं तथा इसका एम.डी.एम. योजना की मॉनीटरिंग तथा कार्यान्वयन पर निश्चित रूप से एक प्रतिकूल प्रभाव होगा।

5.4 प्रबंधन, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन (एम.एम.ई.) हेतु निधियों का उपयोग

एम.डी.एम. योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, अनाज की लागत, परिवहन लागत, रसोईया-सह-सहायकों को मानदेय तथा भोजन पकाने की लागत का 2 *प्रतिशत* एम.डी.एम. के लिए उपलब्ध है। इस राशि को निम्न अनुपात में केन्द्र सरकार तथा राज्यों/ सं.शा.क्षे. को आवंटित किया जाएगा:

(i) केन्द्र सरकार - 0.2 प्रतिशत

(ii) राज्य / सं.शा.क्षे. - 1.8 प्रतिशत

प्रत्येक वर्ष एम.डी.एम. के अंतर्गत आवंटित निधियों में से व्यय की मदों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है: -

केन्द्रीय स्तर

(i) वाह्य मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

(ii) **प्रबंधन एवं आंतरिक मॉनीटरिंग**

(क) कर्मचारी वेतन

(ख) परिवहन एवं आकस्मिकता व्यय

(ग) फर्नीचर/कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा उपभोज्य

(घ) विज्ञापन एवं प्रचार

(ड़) अन्य प्रासंगिक व्यय (एन.एस.एम.सी.) की बैठकों सहित

राज्य/सं.शा.क्षे.

(i) विद्यालय स्तरीय व्यय (एम.एम.ई. का 50 प्रतिशत)

(क) प्रपत्र एवं लेखन सामग्री

(ख) तौल मशीन तथा ऊंचाई रिकॉर्डर

(ग) भोजन पकाने के उपकरणों, बर्तनों, तौल मशीन आदि को बदलना/मरम्मत/अनुरक्षण

(ii) प्रबंधन, पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण तथा आंतरिक/बाह्य मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन (एम.एम.ई. का 35 प्रतिशत)

(क) एम.आई.एस. समन्वयकों तथा डाटा इंटरी आपरेटरों के वेतन सहित स्टाफ वेतन

(ख) परिवहन एवं आकस्मिकता

(ग) फर्नीचर, कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा उपभोज्य तथा अन्य प्रासंगिक व्यय

(घ) एम.डी.एम. में शामिल स्टाफ का क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण

(ड़) प्रचार

(iii) बाह्य मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन (एम.एम.ई. का 15 प्रतिशत)

5.4.1 केन्द्रीय स्तर

मॉनीटरिंग एम.डी.एम. योजना का एक अनिवार्य भाग है तथा एम.डी.एम. निधि का उपयोग एम.डी.एम. के केन्द्रीय स्तर तथा राज्य स्तर पर निष्पादन का एक सूचक है। एम.एच.आर.डी. द्वारा एम.डी.एम. निधियों का वर्ष-वार उपयोग नीचे **तालिका 5.3** में दिया गया है :

तालिका 5.3: एम.एम.ई. निधियों का वर्ष वार उपयोग

वर्ष	आवंटित राशि (₹ करोड में)	उपयोग की गई राशि (₹ करोड में)
2009-10	15.00	0.53
2010-11	10.00	3.92
2011-12	13.15	11.19
2012-13	20.00	9.74
2013-14	26.06	16.86
कुल	**84.21**	**42.24**

इस प्रकार, मंत्रालय 2009-10 से 2013-14 के दौरान एम.डी.एम. हेतु आंवटित ₹84.21 करोड में से केवल ₹42.24 करोड (50 प्रतिशत) का ही उपयोग कर सका जो दर्शाता है कि यह पहलू बड़े पैमाने पर उपेक्षित रहा।

5.4.2 राज्य स्तर

2011-12 से 2013-14 के दौरान 27 राज्यों द्वारा एम.डी.एम. निधि के उपयोग की स्थिति नीचे दी गई है:

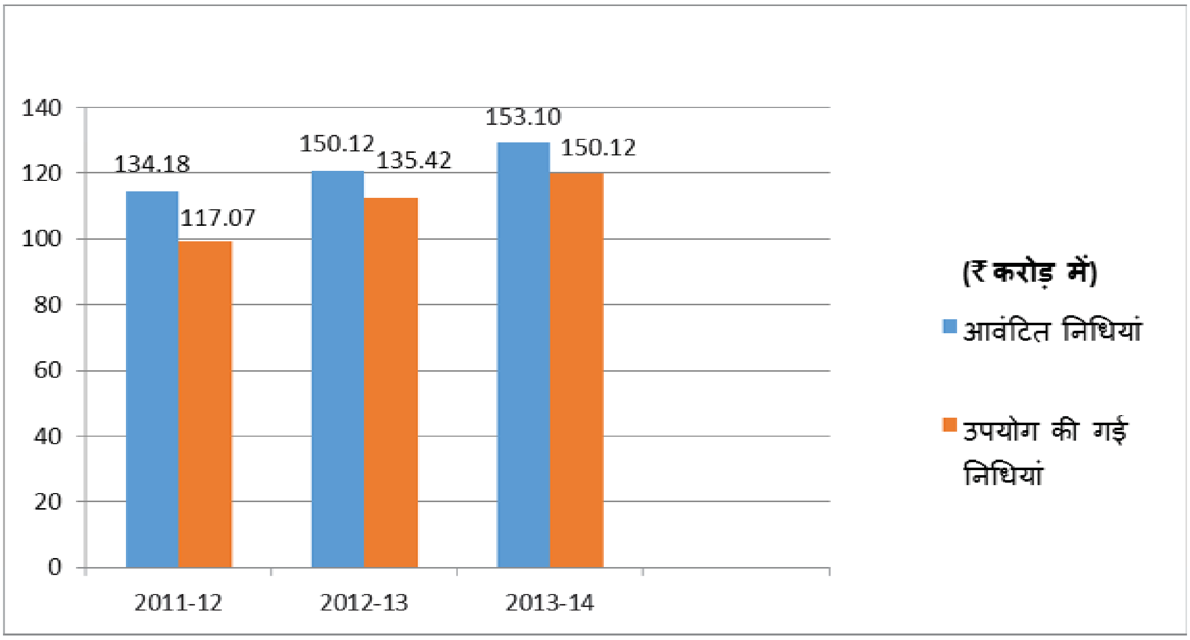

2011-12 से 2013-14 के दौरान, ₹437.40 करोड की कुल निधियों में से राज्य केवल ₹402.61 करोड का ही उपयोग कर सके थे। एम.डी.एम. निधियों का राज्य वार विवरण **अनुबंध–XVIII** में दिया गया है। सात राज्य अर्थात् गोवा, झारखण्ड, दा. एवं ना. हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी आवंटित एम.डी.एम. का 60 *प्रतिशत* से कम उपयोग कर सके थे। एम.डी.एम. निधि का कम उपयोग कार्यक्रम की खराब मॉनीटरिंग को दर्शाता है जिसका परिणाम योजना के अपर्याप्त कार्यान्वयन में हुआ।

5.4.3 विद्यालयों को प्रबंधन, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन (एम.डी.एम.) अनुदान का गैर निर्गम

दिशानिर्देश 2006 का पैरा 2.3 (VII) तथा पैरा 6.4 तथा जून 2010 का अनुवर्ती संशोधन परिकल्पना करता है कि (क) अनाज की लागत (ख) परिवहन लागत (ग)

भोजन पकाने की लागत तथा (घ) रसोईया-सह-सहायक को मानदेय हेतु कुल सहायता के 1.8 प्रतिशत की दर पर एम.डी.एम. हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। राज्यों/सं.शा.क्षे. को विद्यालय स्तर के अतिरिक्त विभिन्न स्तरों पर एम.डी.एम. हेतु निधियों का 50 *प्रतिशत* तक उपयोग करने की नम्यता होगी जो राज्यों/सं.शा.क्षे. की आवश्यकता पर निर्भर होगी। तथापि, शेष 50 *प्रतिशत* चिन्हित निधि को विद्यालय स्तर पर तय किया जाना है।

पंजाब में, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2009-14 के दौरान ₹13.75 करोड को एम.एम.ई. संघटक के अंतर्गत जारी किया गया था। एम.डी.एम. दिशानिर्देशों के अनुसार ₹6.88 करोड (₹13.75 का 50 *प्रतिशत*) का विद्यालय द्वारा केवल दिशार्निदेशों में विनिर्दिष्ट कार्यों हेतु ही उपयोग किया जाना था। तथापि, दिशानिर्देशों के विपरीत निधियों का निदेशालय/जिला स्तर पर उपयोग किया गया था।

महानिदेशक स्कूली शिक्षा (डी.जी.एस.ई.), पंजाब ने बताया कि एम.डी.एम. निधियां विद्यालय को जारी नहीं की गई थी तथा उनका उपयोग वेतन तथा अन्य व्यय के कारण मुख्यालय स्तर पर किया गया था। तथापि, संबंधित डी.ई.ओ. ने बताया कि मामले को उच्च प्राधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा। उतर योजना प्रावधानों के संगत नहीं है।

5.5 निरिक्षणों में कमी

एम.डी.एम. दिशानिर्देशों के अनुसार, एम.डी.एम. योजना का यह निर्धारण करने हेतु मॉनीटर किया जाना अपेक्षित है कि सभी बच्चे नियमित रूप से संतोषजनक गुण्वता का भोजन प्राप्त कर रहे हैं तथा बच्चों की पौषणिक स्थिति उपस्थिति में नियमितता तथा विद्यालय में बने रहने को सुधारने मे भोजन का प्रभाव।

एम.डी.एम. की समग्र गुणवत्ता को मॉनीटर करने हेतु संबंधित राज्य सरकार के राजस्व/प्रशासन, ग्रामीण विकास, शिक्षा, नोडल, विभागों, महिला एवं बाल विकास, खाद्य, स्वास्थ्य आदि से संबंधित अधिकारियों खाद्य एवं पौषणिक बोर्ड के अधिकारियो, राज्य सरकार द्वारा चयनित नांमाकित पौषणिक विशेषज्ञों/संस्थानों द्वारा विद्यालयों के नियमित निरीक्षण किए जाने थे।

निरीक्षण के मासिक लक्ष्यों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाना था। औसतन 25 *प्रतिशत* विद्यालयों/विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों का प्रत्येक तिमाही में दौरा किया जाना चाहिए तथा सभी विद्यालयों/ई.जी.एस./ए.आई.ई. केन्द्रों का प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार दौरा किया जाना चाहिए। निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार किए जाने चाहिए तथा प्रतिवेदनों के निष्कर्षो को प्रलेखित किया जाना चाहिए तथा सभी स्तरों पर एस.एम.सी. बैठकों में सूचित किया जाना चाहिए। बिना किसी विलम्ब के उचित शोधक कार्रवाई प्रारम्भ की जानी चाहिए।

24 राज्यों (ब्यौरे **अनुबंध-XIX** में दिए गए हैं)**,** में निरीक्षण से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि **हरियाणा**, **झारखण्ड** तथा **नागालैण्ड** में निरीक्षण की संख्या निर्धारित लक्ष्य के 30 *प्रतिशत* से कम थी। **आन्ध्र प्रदेश**, **असम**, **गुजरात**, **केरल**, **मणिपुर**, **मेघालय**, **पंजाब** तथा **चण्डीगढ** में निरीक्षण की संख्या लक्ष्य के 30 से 60 *प्रतिशत* के बीच थी। **अरूणाचल प्रदेश**, **छत्तीसगढ**, **गोवा**, **हिमाचल प्रदेश**, **कर्नाटक**, **मध्य प्रदेश**, **महाराष्ट्र**, **ओडिशा**, **तमिलनाडु**, **उत्तर प्रदेश**, **ए.एन.आई., दादर एवं नागर हवेली** तथा **दमन एवं दीव** में निरीक्षण 60 *प्रतिशत* से अधिक थे।

इसके अतिरिक्त**,** **छत्तीसगढ**, **गोवा**, **हिमाचल प्रदेश**, **महाराष्ट्र**, **मणिपुर**, **ओडिशा** तथा **पंजाब** में यह पाया गया था कि निरीक्षण किए गए विद्यालयों/स्वयं सेवी समूह (एस.एच.जी.) के संबंध में उपचारी उपायों हेतु कोई निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार तथा प्रलेखित नहीं किया गया था।

बिहार तथा **मेघालय** में**,** निरीक्षण प्रतिवेदनों को समीक्षा तथा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई हेतु एस.एम.सी. को प्रस्तत/सूचित नहीं किया गया था। निरीक्षणों में कमी योजना की मॉनीटरिंग में कमजोर आंतरिक नियंत्रणों को दर्शाती है।

5.6 राज्य सरकार द्वारा मॉनीटरिंग संस्थानों की रिपोर्टों पर निष्क्रियता

मंत्रालय ने प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एम.डी.एम. योजना के कार्यान्वयन को मॉनीटर करने हेतु पूरे देश में 42 मॉनीटरिंग संस्थानों (एम.आई.) के साथ एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए। एम.आई. को अपनी रिर्पोटों को मंत्रालय को प्रस्तुत करनी थी तथा मंत्रालय को बदले में इन रिपोर्टों को रिपोर्ट में इंगित की गई कमियों पर शोधक कार्रवाई करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों को प्रेषित करना था।

वर्ष 2010-11 एवं 2013-14 हेतु 15 नमूना जांच किए गए राज्यों की एम.आई. रिपोर्ट ने प्रकट किया कि राज्य सरकारों ने कमियों को सुधारने हेतु कोई उपचारी कार्रवाई नहीं की थी। परिणामस्वरूप, 2010-11 के दौरान इंगित कमियां अभी भी निरंतर थीं। कुछ महत्वपूर्ण कमियां नीचे दी गई है:

- विद्यालयों को अनाज की अनियमित आपूर्ति
- विद्यालयों को खराब गुणवता के अनाज की आपूर्ति
- अनाज के सुरक्षित भण्डार का गैर-अनुरक्षण
- रसोईघर शैड, बर्तन आदि की अपर्याप्त अवसरंचनात्मक सुविधाएं

  राज्य-बार कमियों को **अनुबंध-XX** में उजागर किया गया है।

इस प्रकार, राज्य सरकारों द्वारा एम.आई. रिपोर्ट पर निष्क्रियता के कारण उद्देश्य जिसके लिए एम.आई. की नियुक्त की गई थी निरर्थक साबित हुआ था।

5.7 शिकायत निवारण प्रक्रिया की विफलता

दिशानिर्देशो के अनुबंध 11 भाग-ख के पैरा 2.8 के अनुसार शिकायतों का समाधान करने हेतु शिकायत निवारण प्रक्रिया स्थापित की जानी है। नमूना जांच किए गए जिलो/विद्यालयों मे शिकायत निवारण प्रक्रिया से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा ने प्रकट किया कि:

- आन्ध्र प्रदेश (4 जिलों), **बिहार, छत्तीसगढ, चण्डीगढ, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, सिक्किम** तथा **उत्तर प्रदेश** में शिकायत निवारण प्रक्रिया को स्थापित नहीं किया गया था।
- **दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल** तथा **उत्तराखण्ड** में शिकायत निवारण प्रक्रिया स्थापित थी परंतु प्राप्त शिकायतों तथा उन पर की गई कार्रवाई के संबंध में अभिलेखों का अनुरक्षण अथवा प्रलेखित नहीं किया गया था।
- **अरूणाचल प्रदेश** में योजना कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों का निपटान करने हेतु सार्वजनिक उपयोग के लिए स्थापित टोल फ्री टेलीफोन नम्बर चालू नहीं थे।
- **आन्ध्र प्रदेश** में चित्तूर जिले में पांच शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की गई थी। प्रभावी शिकायत निवारण प्रकिया का अभाव योजना कार्यान्वयन में सुधार लाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है।

5.8 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा को विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं तथा गतिविधियों के वितीय निष्पादन तथा प्रभावकारिता की मॉनीटरिंग हेतु उच्च प्रबंधंन को सहायता के रूप में माना गया है। आंतरिक लेखापरीक्षा संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रधान लेखा कार्यालयों में आतंरिक लेखापरीक्षा स्कंध के माध्यम से की जाती है। यह योजना कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने में शामिल विभिन्न जोखिमों को कम करने में भी मदद करता है।

2009-10 से 2013-14 के दौरान, मंत्रालय द्वारा योजना की आंतिरक लेखापरीक्षा केवल 2013-14 के दौरान की गई थी। जिसमें भी केवल पंजाब के चयनित विद्यालयों को शामिल किया गया था। इस प्रकार, स्थापित नियंत्रणों का प्रभावकारिता का पता लगाने हेतु एक महत्वपूर्ण यंत्र को अनदेखा किया गया था।

5.9 तकनीकी सहायता समूह

मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा एज्यूकेशनल कंसलटेंट इण्डिया लिमिटेड (ई.डी.सी.आई.एल) के बीच एम.एच.आर.डी. को व्यवसायिक रूप से योग्य मुख्य सलाहकार, सलाहकारों, अनुसंधान सहायकों, आवश्यक सहायक स्टाफ आदि की नियुक्ति के माध्यम से विद्यालयों में इसके मुख्य कार्यक्रम एम.डी.एम. के कार्यान्वयन हेतु प्रबंधन सहायता सेवाएं (एम.एस.एस.) प्रदान करने के उदेश्य से राष्ट्रीय सहायता समूह अब तकनीकी सहायता समूह (टी.एस.जी.) के रूप में जाना जाता है को स्थापित करने हेतु 22 दिसबंर 2005 को एक अनुबंध किया था। टी.एस.जी.-एम.डी.एम. नौ इकाईयों अर्थात् अनुसंधान एवं मूल्यांकन, खाद्य एवं पौषण, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) योजनागत मॉनीटरिंग, सूचना शिक्षा एवं संचार, सिविल निर्माण कार्य, क्षमता निर्माण, सामुदायिक संघटन तथा शिकायत निवारण से बना है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि :

- ➢ मंत्रालय ने ई.डी.सी.आई.एल. को एम.एस.एस. सौंपते समय सी.वी.सी. दिशानिर्देशों तथा सामान्य वितीय नियमावली के अनुसार अन्य समान संगठनों से प्रतियोगितात्मक बोलियां आमंत्रित नहीं की थीं। यह प्रतियोगिता के निष्कासन का कारण बना। 2009-10 से 2013-14 के दौरान

ई.डी.सी.आई.एल. का वार्षिक व्यय ₹78.71 लाख से ₹6.12 करोड के बीच था।

- मंत्रालय भी ई.डी.सी.आई.एल. को कार्यालय परिसर को किराए पर लेने हेतु ₹68.72 लाख प्रति वर्ष अदा कर रहा था। तथापि, इसने दक्षिण दिल्ली मे उपलब्ध खाली स्थान का उपयोग करने पर विचार नहीं किया था। ई.डी.सी.आई.एल. द्वारा प्रदत्त 26 सहायता स्टाफ को भी शास्त्री भवन में एम.एच.आर.डी. कार्यालय में तैनात किया गया था इसलिए ₹68.72 लाख प्रति वर्ष के वार्षिक किराए पर कार्यालय परिसर को किराए पर लेना संदेहास्पद था।
- ई.डी.सी.आई.एल. द्वारा प्रदत्त 26 सहायता स्टाफ में से, अनुसंधान सहायक, प्रबंधक आदि के रूप में नियुक्त 14 सहायता स्टाफ वह कार्य संभाल रहे थे जो एम.डी.एम. से संबंधित नहीं था तथा मंत्रालय के अधिकारियों को सहायता प्रदान कर रहे थे। इसलिए, इन सहायता स्टॉफ को अदा किया गया वेतन एवं भत्ते संदेहास्पद है।
- वर्ष 2010-11 तथा 2013-14 के दौरान ई.डी.सी.आई.एल. द्वारा राष्ट्रीय /क्षेत्रीय कार्यशालाओं/बैठकों/समीक्षा मिशन तथा फील्ड दौरे करने में 19.32 प्रतिशत तथा 56.45 प्रतिशत के बीच कमी पाई गई थी।

अनुशंसाए :

- *मॉनीटरिंग तथा निरीक्षण प्रक्रियाओं को चोरी तथा हेराफेरी से बचने हेतु सभी स्तरों पर सुदढ़ किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार को रोकने हेतु आकस्मिक निरीक्षणों की प्रणाली भी प्रारम्भ की जानी चाहिए। योजना के सुगम कार्यान्वयन तथा मॉनीटरिंग हेतु परिचालन सह मॉनीटरिंग समिति (एस.एम.सी.) की बैठकों की निर्धारित संख्या का आयोजन किया जाए।*
- *मंत्रालय को मॉनीटरिंग संस्थानों द्वारा प्रस्तुत सूचना के प्रवाह की प्रणाली तथा राज्यों के साथ उनकी अनुवर्ती कार्रवाई को सुदढ़ करना चाहिए जिससे कि मॉनीटरिंग संस्थानों द्वारा इंगित कमियों को सुधारने हेतु शीघ्र कार्रवाई की जा सके। शिकायत निवारण प्रक्रियाओं को स्थापित किया जाना चाहिए जिससे की प्राप्त शिकायतों को शीघ्रता से सुलझाया जा सके।*